

कार्यालय: प्रधानाचार्य, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह  
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर, उ०प्र०-212601

Website: [www.asmcfatehpur.com](http://www.asmcfatehpur.com) E-mail: [asmcfatehpur@gmail.com](mailto:asmcfatehpur@gmail.com) Phone: 9313177768, 9453513220

पत्रांक : 165 / अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म० / फतेह० / 2026-27

दिनांक:- 29/04/2026


**कोटेशन सूचना**

अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर के सम्बद्ध चिकित्सालयों में आयुष्मान लाभार्थियों हेतु आवश्यक औषधियाँ, सर्जिकल सामग्री एवं कंज्यूमेबल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए इच्छुक एवं पात्र फर्मों से सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन की शर्तें निम्नलिखित हैं-

1. फर्म का जीएसटी एवं पैन नंबर होना अनिवार्य है।
2. फर्म को संबंधित कार्य का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
3. फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली औषधियाँ एवं अन्य सामग्री गुणवत्तापूर्ण मान्यता प्राप्त कंपनियों/ब्रांड की ही होनी चाहिए।
4. संस्थान द्वारा मांग किए जाने पर आवश्यक औषधियाँ/सामग्री उसी दिन (Same Day) उपलब्ध कराना फर्म के लिए अनिवार्य होगा।
5. फर्म के पास होलसेल/रिटेल का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है।
6. उपलब्ध कराई जाने वाली औषधियाँ एवं अन्य सामग्री के बिल का भुगतान संस्थान द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
7. आपूर्ति की जाने वाली सभी औषधियों की एक्सपायरी तिथि कम से कम 12 माह शेष होनी चाहिए।
8. आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी/दोष पाए जाने पर सामग्री वापस करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
9. परिवहन/डिलीवरी की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
10. संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में निर्णय प्रधानाचार्य/अधिकृत अधिकारी का अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

अतः इच्छुक फर्मदाता उपरोक्तानुसार औषधियों, सर्जिकल सामग्री एवं कंज्यूमेबल सामग्री का एम०आर०पी० से अधिकतम डिस्काउन्ट का विवरण उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करते हुए कोटेशन प्रकाशन की तिथि से 07 दिन के अंदर डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित प्रारूप में कोटेशन प्रेषित करें-

फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नं०-		
क्र०सं०	विवरण	Maximum Discount on MRP (%)
1	औषधियाँ	
2	सर्जिकल सामग्री	
3	कंज्यूमेबल सामग्री	

  
प्रधानाचार्य

अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म०  
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।  
तद्दिनांक

पत्रांक : / अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म० / फतेह० / 2026-27

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त नियंत्रक, अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म० चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, फतेहपुर।
3. चिकित्सा अधीक्षक, कैम्पस चिकित्सालय, फतेहपुर, चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
4. क्रय/जेमबायर अधिकारी, अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म० चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
5. लेखानुभाग, अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म० चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
6. वेबसाइट प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रधानाचार्य

अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म०  
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।

कार्यालय: प्रधानाचार्य, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह  
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर, उ०प्र०-212601

Website: [www.asmcfatehpur.com](http://www.asmcfatehpur.com) E-mail: [asmcfatehpur@gmail.com](mailto:asmcfatehpur@gmail.com) Phone: 9313177768, 9453513220

पत्रांक : /अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म० / फतेह० / 2026-27

दिनांक:- 29/04/2026

**कोटेशन सूचना**

अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर के सम्बद्ध चिकित्सालयों में आयुष्मान लाभार्थियों हेतु आवश्यक औषधियाँ, सर्जिकल सामग्री एवं कंज्यूमेबल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए इच्छुक एवं पात्र फर्मों से सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन की शर्तें निम्नलिखित हैं—

1. फर्म का जीएसटी एवं पैन नंबर होना अनिवार्य है।
2. फर्म को संबंधित कार्य का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
3. फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली औषधियाँ एवं अन्य सामग्री गुणवत्तापूर्ण मान्यता प्राप्त कंपनियों/ब्रांड की ही होनी चाहिए।
4. संस्थान द्वारा मांग किए जाने पर आवश्यक औषधियाँ/सामग्री उसी दिन (Same Day) उपलब्ध कराना फर्म के लिए अनिवार्य होगा।
5. फर्म के पास होलसेल/रिटेल का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है।
6. उपलब्ध कराई जाने वाली औषधियाँ एवं अन्य सामग्री के बिल का भुगतान संस्थान द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
7. आपूर्ति की जाने वाली सभी औषधियों की एक्सपायरी तिथि कम से कम 12 माह शेष होनी चाहिए।
8. आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी/दोष पाए जाने पर सामग्री वापस करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
9. परिवहन/डिलीवरी की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
10. संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में निर्णय प्रधानाचार्य/अधिकृत अधिकारी का अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

अतः इच्छुक फर्मदाता उपरोक्तानुसार औषधियों, सर्जिकल सामग्री एवं कंज्यूमेबल सामग्री का एम०आर०पी० से अधिकतम डिस्काउन्ट का विवरण उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करते हुए कोटेशन प्रकाशन की तिथि से 07 दिन के अंदर डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित प्रारूप में कोटेशन प्रेषित करें—

फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नं०—		
क्र०सं०	विवरण	Maximum Discount on MRP (%)
1	औषधियाँ	
2	सर्जिकल सामग्री	
3	कंज्यूमेबल सामग्री	

प्रधानाचार्य

अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म०  
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।  
तददिनांक

पत्रांक : 165/अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म० / फतेह० / 2026-27

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त नियंत्रक, अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म० चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, फतेहपुर।
3. चिकित्सा अधीक्षक, कैम्पस चिकित्सालय, फतेहपुर, चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
4. क्रय/जेमबायर अधिकारी, अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म० चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
5. लेखानुभाग, अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म० चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
6. वेबसाइट प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रधानाचार्य

अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म०  
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।